

परिषद में वाराणसी जौन के अन्तर्गत वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, बलिया, मिर्जापुर, गोण्डा एवं गोरखपुर नगरों की सम्पत्तियों का

स्थान
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय,
जवाहर नगर,
वाराणसी

आवंटन/ नीलामी

आवंटन/नीलामी तिथि
15.09.2010
समय : प्रातः 10.30 बजे



लाटरी ड्रा से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

भवन/भूखण्डों का प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	आरक्षित दर/अनु.मू. फ्री-होल्ड सहित (₹ लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण पनाशरि (₹ में)
अवधपुरी योजना, फैजाबाद				
म.आ.वर्ग - 917, 918, 919	03	108.50 से 158.8	10.50 से 12.25	62000.00
अ.आ. वर्ग - 1336	01	60.59	4.48	50000.00
भरतपुरी योजना, गोण्डा				
अ.आ. वर्ग - 1738	01	64.00 व.मी.	5.40	27000.00
सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर				
आ.मू.-डी-6, डी-10	02	232.00	6048.00	70200.00
आ. मू.-डी-2/1	01	406.62	6048.00	124000.00

नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

चन्द्रशेखर आजाद नगर, इलाहाबाद	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	आरक्षित दर/अनु.मू. फ्री-होल्ड सहित (₹ लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण पनाशरि (₹ में)	
मूखण्ड-101/1, 101/2	02	98.00	7392.00	36300.00
हृत्पुर योजना, बलिया				
मूखण्ड-सं.-2बी./319	01	195.38	6048.00	59100.00

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ

कबीर नगर योजना, वाराणसी	दुकान संख्या-एस-1/11	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	आरक्षित दर/अनु.मू. फ्री-होल्ड सहित (₹ लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण पनाशरि (₹ में)	
	01	7.17	6.73	67300.00	
शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर					
	दुकान-एल.जी.एफ. एस-2, 3, 4, 5, 8, 10, 11	07	9.633	5.62	55300.00
	दुकान-यू.जी.एफ. एस-8, 9, 11	03	9.633	3.68	36200.00
	दुकान-एल.जी.एफ. एस-7	01	9.922	3.79	37300.00
	दुकान-एल.जी.एफ. एस-1, 6, 7, 12	04	9.922	5.79	56000.00
डोमरौली योजना, मिर्जापुर					
	दुकान संख्या-एस-2, 3	02	9.39	3.28	32800.00
	दुकान संख्या-एस-6	01	15.15	3.36	33600.00
	दुकान संख्या-एस-7	01	18.71	4.80	48000.00
	दुकान संख्या-एस-9, 10	02	6.667	3.73	37300.00
	दुकान संख्या-एस-11	01	8.667	4.29	42900.00
झूसी योजना संख्या-2, इलाहाबाद					
	दुकान संख्या-एस-2/10	01	14.32	5.22	52200.00
	दुकान संख्या-एस-2/11	01	16.56	6.04	60400.00
	दुकान संख्या-एस-2/12	01	15.82	5.77	57700.00
	दुकान संख्या-एस-2/13,14	02	9.60	3.50	35000.00
	दुकान संख्या-एस-2/33	01	13.59	3.39	33900.00
महादेव झारखण्डीय योजना, गोरखपुर					
	दुकान संख्या-एस-7	01	12.69	3.86	38500.00
	दुकान संख्या-एस-10	01	8.53	2.60	27000.00

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ

सम्पत्तियों का प्रकार/सं.	संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	आरक्षित दर/अनु.मू. फ्री-होल्ड सहित (प्रति वर्ग मी.)	एफ. ए.	ग्राउण्ड कवरेज	अधि. ऊँचाई (मी.में)	टोकन मनी/पंजीकरण पनाशरि (₹ लाख में)
पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी							
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-2	01	900.00	12544.00	1.2	40	बी.+जी+3	11.51
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-3	01	862.50	12544.00	1.2	40	बी.+जी+3	10.82
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-4	01	837.50	12544.00	1.2	40	बी.+जी+3	10.21
कम्युनिटी फॅसिलिटी-1 (लीज पर)	01	765.00	9408.00	-	-	-	7.20
कम्युनिटी फॅसिलिटी-2 (लीज पर)	01	1480.00	9408.00	-	-	-	13.93
कम्युनिटी सेन्टर-3ए-2 (लीज पर)	01	3472.00	6272.00	-	-	-	11.74
भरतपुरी योजना, गोण्डा							
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-1ए	01	397.00	6944.00	-	-	-	2.76
डोमरौली योजना, मिर्जापुर							
व्यवसायिक मूखण्ड-105	01	174.00	9072.00	1.5	50	15 मी.	1.58
व्यवसायिक मूखण्ड-110	01	144.00	9072.00	1.5	50	15 मी.	1.31
व्यवसायिक मूखण्ड-114	01	289.45	9072.00	1.5	50	15 मी.	2.63
शाहपुर योजना संख्या -1, गोरखपुर							
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-1	01	81.00	14448.00	-	-	-	1.18
रुस्तमपुर तिवारीपुर योजना, गोरखपुर							
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-1	01	62.33	12320.00	-	-	-	80 हजार
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-2	01	66.64	12320.00	-	-	-	84 हजार
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-3	01	71.94	12320.00	-	-	-	89 हजार
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-4	01	80.89	12320.00	-	-	-	1 लाख
अवधपुरी योजना, फैजाबाद							
कम्युनिटी सेन्टर-सी.सी.(लीज पर)	01	724.00	3696.00	-	-	-	3.70
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-6ए, 7	02	368.50 (प्रति)	7392.00	-	-	-	2.50
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-6बी	01	243.81	7392.00	-	-	-	1.65
व्यवसायिक मूखण्ड-सी.पी.-106	01	160.65	7392.00	-	-	-	1.00
झूसी योजना संख्या-3, इलाहाबाद							
कम्युनिटी सेन्टर-सी.सी.(लीज पर)	01	2900.00	4928.00	1.5	35	15 मी.	14.30
नर्सिंग होम मूखण्ड-15/2, 15/3	02	455.00 (प्रति)	9856.00	1.5	35	15 मी.	4.49
संस्थागत मूखण्ड-6आई/3	01	1160.45	7392.00	1.5	35	15 मी.	8.60
संस्थागत मूखण्ड-6आई/4	01	1174.45	7392.00	1.5	35	15 मी.	8.70

घोषणा (आवेदन/सील्ड बिड एवं दोनों के साथ आवश्यक) : 1. मैंने स्थल पर सम्पत्ति देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ "जहाँ है जैसी है" के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। 2. मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम सम्पत्ति शहर में कोई भवन/मूखण्ड नहीं है एवं उ.प्र. के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/मूखण्ड नहीं है। 3. मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की 2009-10 की समस्त श्रोतों से आय रु. से अधिक नहीं है। 4. मुझे उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की सभी अध्यावधिक नियम एवं शर्तें मान्य हैं।

तिथि स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

नियम व शर्तें - 1. आवेदन/सील्ड बिड फॉर्म संबंधित शहर/योजना के स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय से मी.रु. 100.00 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 2. सील्ड बिड/ऑफर अंतिम करते हुए रु. 100.00 के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील्ड बिड फॉर्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक संबंधित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। 3. आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील्ड बिड संबंधित शहर/योजना के लिये उल्लिखित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है- कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, आफिस कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर (भैतपुर) वाराणसी (सभी नगरों हेतु)। वाराणसी मिर्जापुर हेतु - स.प्र. कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी। गोरखपुर बस्ती हेतु - स.प्र. कार्यालय, सूरजकुण्ड, गोरखपुर। इलाहाबाद प्रतापगढ़ हेतु - स.प्र. कार्यालय 50/6 अलोपी बाग, इलाहाबाद। गोण्डा हेतु - स.प्र. कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा। फैजाबाद हेतु - स.प्र. कार्यालय, अंगरीबाग, फैजाबाद। 4. सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 5. आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनदेश/परिषद के प्रदेशन संबंधी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 6. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पै-आर्डर जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में संबंधित नगर में मुगतान देय होगा, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2010 तथा सील्ड बिड नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक (कार्य दिवस में) साथ 5.00 बजे तक उपरोक्त पते पर प्राप्त हो जाने चाहिये अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 7. अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 8. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति की लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। 9. सम्पत्ति का कब्जा देय मुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबंध/विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। 10. आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केंद्र एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई मूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक मूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये। 11. एक आवेदक एक से अधिक भवन/मूखण्ड हेतु आवेदन की स्थिति में अंतिम आवंटन हेतु एक ही भवन/मूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। 12. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु संबंधित स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> पर पब्लिक नोटिस के अन्तर्गत देखी जा सकती है। 13. समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप:- 1. योजना/शहर का नाम.... 2. भवन/मूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल... 3. आवेदक का नाम.... 4. पिता/पति का नाम.... 5. पत्र व्यवहार का पता, श्रेणी पता.... 6. दूरभाष नं./मोबाइल नं..... ई-मेल आई.डी..... 7. आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें) 8. संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट का विवरण- बैंक ड्राफ्ट संख्या....., दिनांक..... 9. निर्गतकर्ता बैंक का नाम....., धनराशि..... 10. मुगतान का विकल्प.....

आवेदक के हस्ताक्षरतिथि.....स्थान.....

सील्ड बिड का प्रारूप:- 1. योजना/शहर का नाम, 2. सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल, 3. आरक्षित मूल्य, 4. आकर मूल्य/दर (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं), 5. टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु....., 6. बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक, 7. नाम....., 8. पिता/पति का नाम..... 9. आरक्षण श्रेणी..... (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें), 10. पत्र व्यवहार का पता....., 11. दूरभाष/मोबाइल नं., ई-मेल आई.डी., हस्ताक्षर..... 12. दिनांक....., स्थल, नाम, पिता/पति का नाम, संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम....., पूरा पता.....

डायल करें परिषद से संबंधित समस्या के निराकरण हेतु
जन सुविधा केंद्र
की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।
1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
(आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित संस्था)
10.4, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Web : <http://www.upavp.com> E-mail : upavp@sanchar.net.in

ISO 9001